

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 287/2019

Laxman Devnani S/o Late Kotumal

----Appellant

Versus

Khoobchand Kirnani & Ors.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sumit Mangla, Adv. with Mr. Idrish Hashmi, Adv. & Mr. Shahid Khan, Adv. Ms. Muskan Verma, Adv. Mrs. Sudesh Kasana, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. J.P. Goyal, Sr. Adv. assisted by Ms. Ronak Bansal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

29/04/2026

Heard on application (I.A. No.2/2026) filed under Order XLI Rule 5 of CPC on behalf of appellant for seeking stay on execution of decree and modification in the order dated 11.07.2019 passed by the Coordinate Bench of this Court in S.B. Civil Misc. Stay Application No.1132/2019.

On 11.07.2019, following order has been passed by the Coordinate Bench of this Court-

"दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने, आक्षेपित निर्णय के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन व परिशीलन करने के बाद व आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी आक्षेपित डिक्री के अनुसार 1,01,03,863 /— रुपये व इस राशि पर 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से आज तक के ब्याज सहित समस्त राशि प्रत्यर्थी को

तीन माह में अदा कर दे अथवा उसके बैंक खाते में जमा करवा दे व साथ ही साथ उसे (अपीलार्थी को) विवादित परिसर में स्थापित दो टॉवरों से प्राप्त हो रहे किराये 20,000/- रुपये मासिक, जो अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया जाना योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान स्वीकार किया है, के बाबत इस आशय की अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर दे कि यदि इस अपील का अंतिम निर्णय अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध हो जाता है तो वह इस अपील की दिनांक से इस अपील के अंतिम निर्णय तक प्राप्त की गई समस्त किराये की राशि प्रत्यर्थी को अपील के निर्णय की दिनांक से दो माह में अदा कर देगा, तो आक्षेपित डिक्री की क्रियान्विती इस अपील के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगी। परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त दी गई अवधि में इस आदेश की पालना करने में अपीलार्थी असफल रहता है तो प्रत्यर्थीगण इस न्यायालय को सन्दर्भित किए बिना आक्षेपित डिक्री का निष्पादन करवाने का स्वतंत्र होंगे।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी इस अपील के अंतिम निर्णय तक इस न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये बिना विवादित सम्पत्ति को किसी भी प्रकार किसी तृतीय पक्ष को स्थानान्तरित नहीं करेगा न उसमें किसी तृतीय पक्ष के हित सृजित करेगा।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा बहस के दौरान आक्षेपित डिक्री की पालना में प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 2,34,51,855/- रुपये जमा करा दिया जाना सूचित किया गया है। चूंकि इस आदेश द्वारा आक्षेपित डिक्री की क्रियान्विती स्थगित की गई है, अतः प्रत्यर्थीगण उनके द्वारा जमा कराई गई उक्त राशि 2,34,51,855/- रुपये अधीनस्थ न्यायालय से नियमानुसार वापिस प्राप्त कर सकेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह राशि उनके द्वारा प्राप्त किये जाने से उनके अधिकार किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे।

स्थगन प्रार्थना पत्र इसी अनुसार स्वीकार किया जाता है।”

The appellant failed to comply with the aforesaid order and now, he has moved the application (I.A. No.2/2026) for stay on the execution.

This Court is not inclined to allow the aforesaid application.

In view of the above, the application (I.A. No.2/2026) is hereby, dismissed.

List the matter in third week of July, 2026.

(ASHUTOSH KUMAR),J